2024/61 Gcms

तारीख 22.04.2024

फर्द अहकाम

(नियमं 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

नत्थुराम बनाम बुधराम

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 34 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
19.03.2024	प्रार्थी नत्थुराम की तरफ से वकील श्री करणीसिंह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि अप्रार्थी रोही मौजा कुलचासर के ख.नं. 541/20 की 4.450 है., 543/310 की 7.458 है. भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 24.04.2024 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
22.4.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी में राजीनामा होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में खारिज करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा मौजूदा स्थिति में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील तामील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	राजीनामे होने के कारण आगे चलाना नहीं चाहता हूँ। नत्थुराम प्रार्थी [signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 14:43:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner